



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 6 जुलाई, 1974  
श्रावण 15, 1896 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2100/सत्रह-वि०-1-33-74

लखनऊ, 6 जुलाई, 1974

अधिसूचना  
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्रावकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 5 जुलाई, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्रावकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1974)

(जंसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त श्रावकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रावकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।
- 2—संयुक्त प्रान्त श्रावकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खंड (बी) में, तालिका की मद संख्या 1, 2 और 3 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम

सं० प्रा० अधिनियम  
संख्या 4, 1910  
की धारा 28 का  
संशोधन

- 1—देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) .. 2 रुपए प्रति लीटर अल्कोहल
- 2—भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो (बियर को छोड़कर)। .. 2 रुपए प्रति लीटर अल्कोहल
- 3—भारत में यवासहित बियर .. 2 रुपए प्रति बत्क लीटर।

निरसन तथा  
अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 8  
1974

No. 2100/XVII-V-1-33-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1974), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 5, 1974:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. ACT No. 18 OF 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1974.

Amendment of  
section 28 of  
U. P. Act no. IV  
of 1910.

2. In section 28 of the U. P. Excise Act, 1910, in sub-section (3), in clause (b), for the entries relating to items 1, 2 and 3 of the table, the following entries shall be substituted, namely:—

	Rs.
“(1) Country liquor (excepting <i>tari</i> and other fermented alcoholic beverages).	2. Per litre of alcohol
(2) Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer).	2. Ditto.
(3) Beer brewed in India .. .. .	2. Per bulk litre.”

Repeal  
saving. and

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1974, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव।

U. P.  
Ordinance  
no. 8 of  
1974